Azim Premji University

कम जानकारी के माहौल में स्कूल चयन :

चार राज्यों में अभिभावकों के समझ व ज़मीनी हकीकत का अध्ययन

Field Studies in Education | November 2018

These papers present findings from Azim Premji Foundation's field engagements in trying to improve the quality and equity of school education in India. Our aim is to disseminate our studies to practitioners, academics and policy makers who wish to understand some of the key issues facing school education as observed by educators in the field. The findings of the paper are those of the Research Group and may not reflect the view of the Azim Premji Foundation including Azim Premji University.

कम जानकारी के माहौल में स्कूल चयन :

चार राज्यों में अभिभावकों के समझ व ज़मीनी हकीकत का अध्ययन

Research Group | Azim Premji Foundation

Contact : field.research@azimpremjifoundation.org

ಆಳಂದ
ಜೇವರ್ಗಿ

कार्यकारी सारांश

स्कूली शिक्षा के बाज़ार-आधारित नज़रिए में स्कूल चयन के लिए विकल्पों का होना एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। सामान्यतः स्कूल-चयन का मतलब होता है स्कूल व्यवस्था को सुधारने के प्राथमिक जरिए के तौर पर सार्वजनिक पैसे से चलने वाले स्कूलों के विकल्पों की व्यवस्था करना व उनको आगे बढ़ाना। इस तरह के बाज़ार-आधारित उपाय अमरीका जैसे देश में स्कूलों के सुधार में कारगर साबित नहीं हुए हैं (राविच, 2010, 2013) और जिन स्कूल प्रणालियों में गैर-बराबरियाँ देखने को मिलती हैं वहाँ तो और भी नहीं (ओईसीडी, 2016: 123-127)।

स्कूल चयन में विकल्पों के विचार में यह धारणा निहित है कि निजी स्कूल सरकारी शिक्षा व्यवस्था के व्यावहारिक और बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन निजी स्कूलों के फायदों का जो दावा किया जाता रहा है वह पीसा (PISA) की हाल की आकलन में गलत साबित हो चुका है और इसका ज़िक्र दुनिया भर की तमाम स्कूल प्रणालियों में सीखने की स्थिति के बारे में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी है (ओईसीडी, 2016: 126; विश्व बैंक, 2018: 176)। यह शोध आधारित जानकारियाँ शिक्षा के बारे में बुनियादी दार्शनिक विचारों से भी मेल खाती हैं, खासतौर से इस विचार से कि शिक्षा कोई बिक्री-योग्य वस्तु नहीं है (विंच, 1996)।

भारत में 1990 के दशक से स्कूली व्यवस्था का खासा विस्तार हुआ है| सरकारी स्कूलों में पहुँच में आई वृद्धि के बावजूद पिछले 15 सालों में कम फीस लेने वाले निजी स्कूलों के दाखिलों में तेज बढ़ोतरी हुई है, खासकर के वंचित वर्ग के बच्चों की। स्कूलों के इस तरह के बेहद तेज विस्तार लेकिन अपर्याप्त नियमन के चलते अभिभावकों के सामने चयन के ज़्यादा विकल्प ज़रूर हैं लेकिन यह एक ऐसे माहौल में है जहाँ स्कूलों और स्कूली पढ़ाई के बारे में जानकारी का अभाव है। दुनिया भर में इससे जुड़े तमाम अनुभवों को नज़र अंदाज करते हुए भारत में स्कूली शिक्षा को लेकर होने वाली चर्चाओं में स्कूल चयन और गरीबों के लिए कम फीस वसूलने वाले निजी स्कूल जैसे बाज़ार-आधारित उपायों को निर्णायक भूमिका में पेश किया जाता है।

इन आयामों ने हमें तीन-स्तरीय ज़मीनी अध्ययन के लिए प्रेरित किया जिसमें खासतौर से ग्रामीण भारत के सन्दर्भ में अभिभावक स्कूलों का चयन कैसे करते हैं को गहराई से समझने के लिए चार राज्यों के 10 ज़िलों में 121 सरकारी व कम फीस वाले निजी स्कूलों और 1210 परिवार शामिल थे।

इस अध्ययन से यह पता चलता है कि स्कूल चयन एक जटिल प्रक्रिया है। अभिभावक द्वारा स्कूल के चुनाव को तमाम तरह के कारक प्रभावित करते हैं। स्कूलों में सीखना-सीखाना, अनुशासन और बच्चों की सुरक्षा सभी अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं वे खर्च को महत्त्वपूर्ण मानते है। जो अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं वे 'अंग्रेज़ी-माध्यम' को महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

इस अध्ययन में यह भी पता चलता है कि अभिभावकों द्वारा कम फीस लेने वाले स्कूलों का चुनाव अकसर सही जानकारी पर आधारित नहीं होता। बहुत सारे अभिभावक यह मानते हैं कि वे अपने बच्चों को अंग्रेज़ी-माध्यम स्कूल में भेज रहे हैं जबकि हकीकत में ऐसे ज़्यादातर स्कूल अंग्रेज़ी-माध्यम नहीं होते। इसी तरह शिक्षकों की योग्यता को महत्त्वपूर्ण मानने वाले अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेज बैठते हैं जहाँ शिक्षक अल्प-प्रशिक्षित होते हैं।

शैक्षणिक दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण आकांक्षाओं से जुड़े कारकों पर अभिभावकों के ज़ोर देने और उससे जुड़ी सूचनाओं की कमी के पीछे कम फीस लेने वाले निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली मार्केटिंग की भूमिका दिखाई देती है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि स्कूलों द्वारा अपने प्रचार के लिए किए जाने वाले प्रयास और अभिभावकों की सांस्कृतिक आक्षाकांएँ (Cultural Capital) एक-दूसरे को मजबूत करती हैं और एक ऐसी परिस्थिति बनाती हैं जिसमें वास्तविक शैक्षणिक परिणामों का महत्व कम या बिल्कुल दरकिनार हो जाता है ।

समग्र रूप में यह अध्ययन दुनिया भर में हुए दूसरे अध्ययनों का समर्थन करता है जो यह सामने लाते है की स्कूल व्यवस्था के सुधार के लिए बाज़ार-आधारित तरीकों को बगैर किसी आलोचनात्मक समझ के सरलीकृत ढंग से स्वीकार कर लेना न सिर्फ अपर्याप्त है बल्कि इसका स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।

1. प्रस्तावना

भारत में प्रारम्भिक स्कूल व्यवस्था का 1990 के दशक से महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। यह विस्तार सरकारी स्कूल में पहुँच में आई बढ़ोतरी और उसके समानांतर निजी स्कूलों की संख्या में हुई बढ़ोतरी में देखने को मिलता है। इसके बावजूद, सरकारी स्कूल व्यवस्था अभी भी स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख जरिया है, खासतौर से ऐतिहासिक रूप से हाशियाकृत जनसमूहों के लिए और उन इलाकों के लिए जहाँ अब तक स्कूली शिक्षा की पहुँच नहीं थी। निजी स्कूल व्यवस्था में होने वाली ज़्यादातर बढ़ोतरी के पीछे कम फीस लेने वाले स्कूलों की संख्या में हुई बढ़ोतरी है[1] जो पहले शहरों और उनके आसपास के इलाकों में और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में भी कई जगहों पर हुई है। इस तेज और अकसर अपर्याप्त नियंत्रण में होने वाले स्कूल विस्तार के चलते अभिभावकों के सामने चयन के विकल्प तो बढ़े हैं, लेकिन एक ऐसे माहौल में जहाँ सूचनाओं का अभाव है।

शैक्षणिक नीति संबंधी बहसो में यही वह सन्दर्भ है जिसमें में स्कूल चयन के लिए विकल्पों को लेकर तमाम विरोधी नज़रिए व तर्क सामने आए हैं। इनमें से एक किस्म के तर्कों में स्कूली शिक्षा को लेकर बाज़ार-आधारित नज़रिए पर ज़ोर डाला जाता है जिसमें अलग-अलग स्कूलों के बीच अभिभावकों द्वारा चयन से स्कूलों के बीच आगे बढ़ने की होड़ सुनिश्चित होगी जिससे अप्रभावी स्कूल खत्म हो जाएँगे। (उदाहरण के लिए, शाह व मिरांडा, 2013)। लेकिन कई अन्य लोगों ने इस विचार की आलोचना की है कि अभिभावकों द्वारा चयन से स्कूली शिक्षा के परिणामों में उत्कृष्टता आएगी। इन अध्ययनों में यह कहा गया है कि अभिभावकों के चयन को लेकर यह जो सरलीकृत समझ है उसमें इस बात को नज़र अन्दाज़ कर दिया जाता है कि वंचित समुदायों के सन्दर्भ में चयन की प्रक्रिया किस तरह काम करती है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात जो इनमें दरकिनार की जाती है वह यह है कि पहले से ही वर्गीकृत स्कूली व्यवस्था के सन्दर्भ में इसका शिक्षा में समानता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है (उदाहरण के लिए हरमा, 2011; श्रीवास्तव, 2007)। इसके अलावा, इस मामले में सबसे बेहतर उपलब्ध साक्ष्य यह बताते हैं कि जहाँ तक नतीजों का सवाल है सरकारी स्कूलों और कम फीस लेने वाले निजी स्कूलों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है (उदाहरण के लिए चुडगर व क्विन, 2012; कारोपाडी, 2014; मुरलीधरन व सुंदररामन, 2015)।

इस सन्दर्भ में अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन का रिसर्च ग्रुप (शोध समूह) कुछ अध्ययन कर रहा है जो सरकारी व निजी स्कूलों के बारे में जारी हालिया बहसों के लिए प्रासंगिक हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि अभिभावक स्कूलों का चयन किस तरह से करते हैं, स्कूल के चयन में कौन से कारक महत्त्वपूर्ण होते हैं, और इनका स्कूलों की वास्तविकता से क्या संबंध है।

इसे समझने के लिए हमने तीन भागों में अध्ययन किया। पहले भाग में हमने भारत के चार राज्यों में 10 ज़िलों के 25 अलग-अलग ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 1210 परिवारों का अध्ययन किया ताकि स्कूल चयन के कारकों को और अभिभावक स्कूलों का मूल्यांकन किस तरह करते हैं, यह समझा जा सके। दूसरे भाग में हमने इन्हीं जगहों में स्थित 121 सरकारी व निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षक-शिक्षिकाओं का सर्वेक्षण किया। इसमें हमने

1. कम फीस लेने वाले निजी स्कूलों को बजट निजी स्कूल या सस्ते निजी स्कूल भी कहते हैं। इस अध्ययन में निजी स्कूलों में ऐसे स्कूल भी शामिल हैं।

स्कूलों की प्रक्रियाओं का अवलोकन किया ताकि स्कूलों के बारे में अभिभावकों के नज़रिए और स्कूलों में शिक्षा की निष्पक्ष हकीकत के बीच कितना मेल है इसका पता लगाया जा सके। इन आँकड़ों के विश्लेषण से हमें स्कूल चयन के स्वरूप और निजी स्कूलों की प्रक्रियाओं से जुड़ी कुछ दिलचस्प प्रवृत्तियाँ देखने को मिलीं। अंतिम भाग में हमने विस्तृत गुणात्मक साक्षात्कारों का इस्तेमाल किया और कुछ विशिष्ट मसलों का परीक्षण किया। इन साक्षात्कारों के लिए अलग-अलग आय-समूहों में बच्चों को निजी व सरकारी स्कूल भेजने वाले अभिभावकों के नमूने लिए गए। साथ ही, विभिन्न जगहों पर पहले दो चरणों में जिन निजी स्कूलों का अध्ययन किया गया था उनमें से प्रधानाचार्यों व शिक्षकों का नमूना भी लिया गया जिनसे यह साक्षात्कार किए गए।

इस अध्ययन के लिए उन जगहों का सोद्देश्यपूर्ण चयन किया गया जिनके आसपास दोनों प्रकार के सरकारी व निजी स्कूल हों। हालाँकि यह सर्वेक्षण उन ज़िलों, राज्यों या पूरे देश का प्रतिनिधि नहीं है लेकिन इससे यह झलक तो मिलती है कि ग्रामीण अंचलों में अभिभावकों का एक बड़ा हिस्सा स्कूल की गुणवत्ता को किस तरह से देखता है। साथ ही यह भी कि वह स्कूल चयन के बारे में क्या सोचता है और स्कूलों का चयन वह किस तरह से करता है।

इस अध्ययन से यह पता चलता है कि समग्र रूप में स्कूल चयन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अलग-अलग अभिभावकों के लिए विभिन्न प्रकार के कारक महत्त्वपूर्ण होते हैं। सीखने-सिखाने में गुणवत्ता सभी अभिभावकों के लिए महत्त्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा, कई अभिभावक अनुशासन और सुरक्षा को भी स्कूल चयन में महत्त्वपूर्ण कारक मानते हैं। जिन अभिभावकों ने निजी स्कूलों का चुनाव किया उनके लिए अंग्रेज़ी-माध्यम ज़्यादा महत्त्वपूर्ण था जबकि सरकारी स्कूलों का चयन करने वाले अभिभावकों के लिए खर्च ज़्यादा महत्त्वपूर्ण था।

जहाँ तक आस-पड़ोस स्थित निजी व सरकारी स्कूल के बीच चुनाव का मामला है, इस अध्ययन में यह पाया गया कि अभिभावकों द्वारा किया गया का चयन किसी एक तरह के स्कूल के पक्ष में नहीं है, चाहे वह निजी हो या सरकारी। पच्चीस गाँवों में यह देखा गया कि अभिभावकों द्वारा आस-पड़ोस के सरकारी स्कूल को चयन में प्राथमिकता देने की उतनी ही संभावना थी जितनी कि निजी स्कूल की है ।

सर्वे के नतीजों के विश्लेषण से यह बात सामने आई कि कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूलों के मामले में स्कूल के बारे में अभिभावकों के नज़रिए और स्कूल की हकीकत के बीच बहुत अंतर हैं। अभिभावक यह बताते है कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी-माध्यम स्कूल में जा रहे हैं लेकिन असलियत में उनमें से ज़्यादातर बच्चे को अंग्रेज़ी में पढ़ाई नहीं करवाई जाती है । इसी तरह, अभिभावक यह बताते है कि स्कूल का चयन करते समय वे शिक्षकों की योग्यता का ध्यान रखते है लेकिन औसतन वे ऐसे स्कूलों का चयन कर जाते है जहाँ के शिक्षक बाकी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में कम योग्यता रखते है ।
गुणात्मक साक्षात्कारों से मिले आँकड़े स्कूलों के चयन की प्रक्रिया की जटिलता की पुष्टि करते हैं। इस जटिलता की पुष्टि अभिभावकों द्वारा शुरुआती चुनावों पर पुनर्विचार कर उसे बदलने से भी होती है। इस तरह के बदलाव एक ही श्रेणी के स्कूलों के बीच (यानी एक निजी स्कूल से दूसरे में) व अलग-अलग श्रेणी के स्कूलों (यानी निजी स्कूल से सरकारी स्कूल) के बीच होती है। यह भी देखने में आया कि कुछ अभिभावक, अपने चुने निजी स्कूल के बारे में राय बदलने के बावजूद सामाजिक प्रतिष्ठा/सांस्कृतिक पूँजी (Cultural capital) जुटाने की इच्छा से उसी में बने रहते हैं।

गुणात्मक साक्षात्कारों से स्कूलों के प्रति अभिभावकों के नज़रिए और स्कूलों की वास्तविकता के बीच के अंतर के संभावित कारणों का भी पता चलता है। एक तरफ यह देखने को मिलता है कि निजी स्कूलों को लेकर अभिभावकों की आकांक्षा पर बच्चों के थोड़ा-बहुत अंग्रेज़ी बोलने/सीखने और अच्छे पोशाक व आचरण अपनाने जैसे आकांक्षा-मूलक मापदण्डों का भारी प्रभाव होता है। इन मापदण्डों से यह भी पता चलता है की इससे सरकारी स्कूल जाने वाले गरीब परिवारों की निजी स्कूलों में भेजने वाले परिवारों से सामाजिक दूरी बनती है। दूसरी तरफ, कम फीस वसूलने वाले निजी स्कूल आस-पड़ोस के गाँवों से दाखिले करवाने के लिए बड़े व्यवस्थित तरीके से प्रचार करते और छवि बनाने का काम करते हैं। इन प्रचार के गतिविधियों में उन्हीं मापदण्डों को उभारा जाता है जिनकी आकांक्षा अभिभावक करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, सांस्कृतिक पूँजी (Cultural Capital) हासिल करने की अभिभावकों की आकांक्षा और निजी स्कूलों की बाज़ार-केन्द्रित परिपाटियों दोनों से ही साफतौर पर गुणवत्ता के गैर-शैक्षणिक मापदण्डों की पुष्टि होती है।[2]

2. इस अध्ययन में शिक्षा की गुणवत्ता से आशय एक ऐसी निर्देशात्मक व बहुआयामी अवधारणा से है जिसमें शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी तत्व शामिल हैं, जैसे कि उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षा पद्धति, मूल्याँकन, और स्कूली प्रक्रियाएँ (देखें, धनकर, 2002; विन्च,1996)। इन्ही मानदंडों के संदर्भ में जब गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों की राय इन तत्वों से मेल नहीं खाती तो हम उनको गैर-शैक्षणिक कहते हैं।

2. पद्धति

यह अध्ययन चार राज्यों (छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान व उत्तराखंड) में दस जिलों में किया गया है। इन जगहों में अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन की सक्रिय उपस्थिति है और कुछ समय से काम करही है।[3] हर जिले से एक ब्लॉक का चयन किया गया और ज़्यादातर ब्लॉक वे हैं जिनमें उस जिले का मुख्यालय भी है। हर ब्लॉक में अध्ययन के लिए एक सीमित भौगोलिक दायरे के कुछ गाँवों को (आमतौर पर आस-पड़ोस के 2-3 गाँवों का समूह) पूर्व-निर्धारित मानदण्डों के आधार पर चुना गया।[4] सर्वे में कुल 1210 परिवार और 121 सरकारी व निजी स्कूल शामिल किए गए (तालिका 1 देखें)।

तालिका 1: अध्ययन में शामिल परिवार, बच्चे व स्कूल (जिलेवार)

जिले*	गाँव	परिवार	बच्चे	सरकारी स्कूल	निजी स्कूल	सरकारी स्कूलों के शिक्षक	निजी स्कूलों के शिक्षक
बलौदा बाजार	3	120	248	6	2	34	28
धमतरी	3	120	226	8	5	41	53
जांजगीर-चांपा	3	121	250	9	9	36	74
रायगढ़	2	120	219	6	4	35	50
रायपुर	2	120	274	5	3	34	55
यादगीर	2	121	255	5	7	32	57
टोंक	2	120	214	5	12	52	147
देहरादून	4	120	289	5	6	19	63
उधम सिंह नगर	2	128	272	6	4	35	29
बागेश्वर	2	120	217	6	8	25	116
कुल	25	1210	2464	61	60	343	672

* सभी जिलों में अध्ययन के लिए निश्चित किए गए इलाके ग्रामीण इलाके थे

3. अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन इन इलाकों में मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास के लिए आमतौर पर ऐसी प्रक्रियाओं व मंचों के माध्यम से काम करता हैं जिनमें शिक्षक स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं। इन इलाकों में स्कूलों या परिवारों के साथ कोई खास प्रत्यक्ष काम नहीं किया जाता।

4. इन मापदण्डों का उपयोग किया गया: (1) सरकारी व निजी स्कूलों का एक संतुलित मिश्रण जिसमें अमूमन 10 स्कूल थे; ताकि अध्ययन में सरकारी व निजी स्कूलों के विकल्पों में विविधता बनी रहे; (2) अध्ययन के लिए प्रासंगिक ग्रामीण समुदाय की आवागमन के साधनों तक पहुँच; ताकि ऐसे विशिष्ट दूर-दराज के गाँव नमूने में न शामिल हों जहाँ स्कूलों के ज़्यादा विकल्प न हों; (3) अमूमन 1500-1800 परिवारों की आबादी; ताकि हर इलाके में उपलब्ध संसाधनों और 120 परिवारों के नमूने के लक्ष्य के बीच एक संतुलन बन सके।

अध्ययन के पहले भाग के लिए 'परिवार सर्वे टूल' का इस्तेमाल किया गया। यह सर्वे टूल के प्रारूप को इस तरह से बनाया गया था कि शोध के मुख्य सवालों के बारे में परिवार क्या सोच रहे थे उसकी बारीक समझ इसके ज़रिए बनाई जा सके। स्थानीय स्कूलों और उनके चयन के बारे में लोगों की राय को लेकर महत्त्वपूर्ण सवाल पूछे गए ताकि अभिभावकों की व्यापक प्रतिक्रियाओं के साथ ही उनकी प्राथमिक प्रतिक्रियाएँ भी जानी जा सकें। उदाहरण के लिए, अपने बच्चों के लिए आस-पड़ोस के पसंदीदा स्कूल के बारे सवाल करते समय अभिभावकों से कहा गया कि वे अपने चयन के जो कारण हैं उनमें से सबसे ज़रूरी तीन कारण और एक मुख्य कारण बताएँ। इस तरह के सवालों के जवाबों का कोई तयशुदा खाका नहीं था और सर्वे टीम ने सभी जवाबों को बाद में 15 श्रेणियों में बाँट दिया। उदाहरण के लिए, जब अभिभावकों से उनके चयन का कारण पूछा जाता था तो वे कह सकते थे कि स्कूल चुनने की उनकी वजह है 'शिक्षक'। अब सर्वे टीम को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया गया था कि वे और पूछताछ करके यह पता लगाएँ कि 'शिक्षक' से अभिभावकों का क्या मतलब था - यानी वह शिक्षकों की योग्यता की बात कर रहे थे या सीखने-सिखाने की प्रक्रिया या किसी और ही चीज़ जैसे कि अनुशासन की बात कर रहे थे। इस तरह की पड़ताल के बाद जो जवाब मिलते थे उनकी कोडिंग और विश्लेषण किया जाता था।

परिवार सर्वे टूल के आँकड़ों के विश्लेषण के बाद स्कूल सूचना टूल का विकास कर उसको क्रियान्वित किया गया। इसमें आँकड़ों को जुटाने के मापदण्ड परिवार-संबंधी आँकड़ों के विश्लेषण से निकले प्राथमिक नतीजों पर आधारित थे। इसका उद्देश्य था अभिभावकों की प्रतिक्रियाओं से मिले द्वितीयक आँकड़ों से तुलना करते हुए स्कूलों के बारे में मिले प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण करना।

मात्रात्मक आँकड़ों के प्राथमिक विश्लेषण से स्कूल चयन के स्वरूप, निजी स्कूलों की प्रक्रियाओं, और अंग्रेज़ी माध्यम जैसे मुद्दों के बारे में दिलचस्प पैटर्न देखने को मिले। इनमें से कुछ पैटर्नों की और गहराई से पड़ताल करने के लिए गुणात्मक पड़ताल का हिस्सा भी इसमें जोड़ा गया। मात्रात्मक आँकड़ों का इस्तेमाल कर विभिन्न आय-वर्गों के अभिभावकों का एक नमूना निकाला गया जिनमें बच्चों को निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों में भेजने वाले अभिभावक शामिल थे। इसी तरह, विभिन्न जगहों पर स्थित निजी स्कूलों से प्रधान-शिक्षक व शिक्षकों का एक नमूना भी निकाला गया। इन नमूनों में 50 अभिभावक, 12 प्रधान-शिक्षक और 24 शिक्षक शामिल थे। इनसे आँकड़े इकट्ठा करने के लिए अर्ध-व्यवस्थित गुणात्मक साक्षात्कार किए गए और आँकड़ों का विषयगत विश्लेषण किया गया।

3. नतीजे

3.1 स्कूल चयन का जटिल स्वरूप

इस विषय से जुड़े मौजूदा शोध में अभिभावकों के चयन को प्रभावित करने वाले जो तमाम कारक दिखाए गए हैं उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण कारक इस प्रकार हैं: आपूर्ति (स्कूलों के उपलब्ध विकल्प), शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा का माध्यम, उनका खर्च वहन करने की क्षमता या कीमत, गैर-शैक्षणिक फायदे, सामाजिक बाधाएँ, और बच्चे का लिंग (यानी लड़का या लड़की) (उदाहरण के लिए स्ट्रयली, वेनम, वूडहेड, 2011; हिल, सैमसन और दासगुप्ता, 2011; हार्मा, 2010)। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि अभिभावकों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता एक अस्पष्ट श्रेणी रही है जिसका मतलब कई अलग-अलग चीज़े हो सकती हैं, जैसे कि स्कूल में बुनियादी सुविधाएँ, परीक्षाओं के नतीजे, अनुशासन और अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत ऊँचा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात भी (उदाहरण के लिए हिल, सैमसन और दासगुप्ता, 2011; कौर, 2017; श्रीवास्तव, 2007)। परिवारों के सर्वे में हमने इसकी पड़ताल विभिन्न प्रकार के खुले सवाल पूछ कर की जिससे स्कूलों को लेकर अभिभावकों की प्राथमिकता और स्कूल चयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी इकठ्ठा की जा सके। अभिभावकों से चयन को लेकर दो अलग-अलग तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल उनके आस-पड़ोस स्थित उनके पसंदीदा स्कूल से जुड़ा था, यानी वह स्कूल विशेष जिसमें वे अपने बच्चे को पढ़ने भेजना चाहेंगे; और दूसरा सवाल उस स्कूल के बारे में था जहाँ वे अपने बच्चे को असल में भेजते हैं।

3.1.1 अभिभावक अपने आस-पड़ोस के किन स्कूलों को पसंद करते ह?

आस-पड़ोस के स्कूलों के बारे में अभिभावकों की प्राथमिकता के विश्लेषण से पता चला कि अभिभावक निजी या सरकारी किसी खास तरह के ही स्कूल को पसंद कर रहे हों ऐसा नहीं है। इसके विश्लेषण के लिए हमने ऐसे स्कूलों के विकल्प को हटा दिया जो उनके आस-पड़ोस में नहीं थे और फिर बचे हुए आस-पड़ोस के स्कूलों में प्राथमिकता बताने वाले अभिभावकों का प्रतिशत निकाल लिया। अध्ययन के लिए चुने हुए सभी जगहों में औसतन 20 प्रतिशत अभिभावक ऐसे थे जिनको अपने बच्चों को आस-पड़ोस के स्कूल में भेजना पसंद था। इसके अलावा, अध्ययन के सभी 10 जिले के 25 में से 14 गाँवों में आस-पड़ोस का सबसे पसंदीदा स्कूल निजी स्कूल था जबकि 11 गाँवों में सरकारी स्कूल सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। दो जगहों में 4 गाँव ऐसे थे जहाँ सबसे ज़्यादा पसंद किए गए सभी तीन स्कूल निजी स्कूल थे। इनको छोड़ कर बाकी सभी 21 गाँवों में तीन सबसे पसंदीदा स्कूल सरकारी स्कूल ही थे। 13 गाँवों में सबसे ज़्यादा पसंद के तीन स्कूलों में सरकारी स्कूलों का नाम ज़्यादा था जबकि 12 गाँव ऐसे थे जहाँ तीन सबसे पसंदीदा स्कूलों में निजी स्कूलों का नाम ज़्यादा आया।

स्कूल चयन की जो वजहें अभिभावकों ने बताईं उनका विश्लेषण करने से पता चला कि इसके पीछे कई कारक काम करते हैं जो हर अभिभावक के लिए अलग-अलग हैं। हमें यह भी पता चला कि कुछ कारक ऐसे हैं जो हर तरह के अभिभावकों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं; जबकि कुछ कारक उन अभिभावकों के लिए ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हैं जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं जबकि कुछ कारक उन अभिभावकों के लिए ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं।

तालिका 2 में अपने आस-पड़ोस के स्कूल-विशेष के चयन की मुख्य वजहें दिखाई गई हैं। सीखने-सिखाने को लेकर अभिभावकों (33 प्रतिशत) का नज़रिया स्कूल विशेष के चयन की सबसे ज़रूरी वजह बन कर सामने आया। अनुशासन (11 प्रतिशत अभिभावकों के लिए) और स्कूल में सुरक्षा (9 प्रतिशत अभिभावकों के लिए) जैसी वजहें भी महत्त्वपूर्ण थीं।

इन तीन के अलावा स्कूल चयन की जो दूसरी महत्त्वपूर्ण वजहें थी उनमें निजी स्कूल व सरकारी स्कूल चुनने वाले अभिभावकों के बीच अंतर पाया गया। वे अभिभावक जिन्होंने नजदीक का सरकारी स्कूल चुना उनके लिए खर्च निजी स्कूल चुनने वाले अभिभावकों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण वजह थी (16 प्रतिशत बनाम 2 प्रतिशत)। दूसरी तरफ, जिन अभिभावकों ने निजी स्कूल चुना उनके लिए स्कूल का अंग्रेज़ी माध्यम होना सरकारी स्कूल चुनने वाले अभिभावकों की तुलना में कहीं ज़्यादा महत्त्वपूर्ण वजह रही (18 प्रतिशत बनाम 3 प्रतिशत)।

तालिका 2: आस-पड़ोस के स्कूल के चयन की प्रमुख वजहें (% में)

	सरकारी स्कूल	निजी स्कूल	कुल
बुनियादी ढांचा (*Infrastructure*)	2	3	3
सुविधाएँ	3	1	2
स्कूल की प्रतिष्ठा	5	3	4
सुरक्षा	12	8	9
समावेशी	5	1	3
प्रोत्साहन व सहयोग	3	0	2
खर्च	16	2	8
स्कूली शिक्षा का प्रकार[5]	2	2	2
स्कूल प्रशासन	2	4	3
शिक्षकों की योग्यता	10	6	8
सीखना-सिखाना	28	36	33
अनुशासन	8	12	11
अंग्रेज़ी माध्यम	3	18	11
गैर-अंग्रेज़ी माध्यम	0	1	1
अन्य	2	2	2

आकड़ों को पूर्णांक कर लिखा गया है

उपरोक्त मुख्य वजहों से अलग, आस-पड़ोस का स्कूल-विशेष जहाँ अभिभावक अपने बच्चों को भेजना पसंद करेंगे उसको पसंद करने की तीन सबसे बड़ी वजहों के विश्लेषण से तालिका 2 जैसी ही स्थिति देखने को मिली।

5. स्कूली शिक्षा के प्रकार में एकल या मिश्रित (जहाँ लड़के-लड़कियाँ दोनों पढ़ते हों), स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के बीच निरंतरता, और परीक्षा बोर्ड की प्राथमिकताएँ शामिल हैं

3.1.2 अभिभावक असल में कौन से स्कूल चुनते हैं?

अब हम इस सवाल के नतीजों को रखेंगे कि अभिभावक अपने बच्चों को असल में किन स्कूलों में भेजते हैं और क्यों। कुल मिला कर, हमारे नमूने में आधे से थोड़े अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं (51 प्रतिशत) जबकि बाकी निजी स्कूलों में। बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं उनमें परिवार की संपत्ति के आधार पर जो अंतर आता है उसका पता इस बात से चलता है कि सबसे कम संपत्ति वाले परिवारों से आने वाले 71 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं जबकि सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले परिवारों से मात्र 17 प्रतिशत बच्चे ही सरकारी स्कूलों में जाते हैं।

अभिभावक असल में जो स्कूल चुनते हैं उसके चयन के कारण आस-पड़ोस के पसंदीदा स्कूल के चयन के कारणों से मिलते-जुलते हैं। जिन स्कूलों को अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए असल में चुना है उनको चुनने के कारणों का अनुपात तालिका 3 दिखाया गया है। सरकारी और निजी दोनों किस्म के स्कूलों के चयन में सीखना-सिखाना के बारे में अभिभावकों की राय स्कूल चयन का एक महत्त्वपूर्ण कारण दिखा। इसी तरह, दोनों ही तरह के स्कूलों के चयन में सुरक्षा, अनुशासन, और शिक्षक योग्यता जैसे कारण महत्त्वपूर्ण दिखाई दिए। जैसा कि उम्मीद थी, सरकारी स्कूलों का चयन करने वाले अभिभावकों के लिए खर्च चयन का कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक रहा जबकि निजी स्कूलों का चयन करने वाले अभिभावकों के लिए अंग्रेज़ी माध्यम ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अभिभावकों से उनके चयन के कारणों के बारे में और ज़्यादा बातचीत करने पर पता चला कि खर्च का कारक पसंदीदा स्कूल के चयन की तुलना में तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब अभिभावक उस स्कूल का चयन करते हैं जहाँ वे वाकई अपने बच्चों को भेजते हैं।

गुणात्मक साक्षात्कारों से मिले आंकड़ों के विश्लेषण से इसी प्रकार के नतीजे सामने आए। ज़्यादातर गरीब परिवार जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे थे, उनके लिए पढ़ाई का खर्च उठा पाने की उनकी क्षमता के मद्देनज़र सरकारी स्कूल एक स्वाभाविक चयन था। जैसा कि टोंक जिले में पाँच बच्चों के एक पिता ने बताया, **“हम बहुत ही गरीब हैं; इसलिए हमने दूसरे स्कूलों के बारे में सोचे बिना सरकारी स्कूल को चुना। गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं।”** इनमें से कई परिवारों के लिए सरकारी स्कूल इनके घर के पास थे इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से उपयुक्त थे। इसके अलावा चूंकि उनको रोज़ी-रोटी कमाने के लिए दिन भर घर से बाहर रहना होता था तो इस लिहाज से भी सरकारी स्कूल उनके लिए ठीक था।

तालिका 3: अभिभावकों द्वारा सरकारी और निजी स्कूल के चयन के मुख्य कारण (% में)

	सरकारी स्कूल	निजी स्कूल
बुनियादी ढांचा *(Infrastructure)*	2	2
सुविधाएँ	6	1
स्कूल की प्रतिष्ठा	2	4
सुरक्षा	12	12
समावेशी	6	1
प्रोत्साहन व सहयोग	4	1
खर्च	26	2
स्कूली शिक्षा का प्रकार[5]	2	1
स्कूल प्रशासन	1	3
शिक्षकों की योग्यता	6	5
सीखना-सिखाना	23	37
अनुशासन	6	11
अंग्रेज़ी माध्यम	1	16
गैर-अंग्रेज़ी माध्यम	1	1
अन्य	3	3

आकड़ों को पूर्णांक कर लिखा गया है

इसके विपरीत, निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने वाले अभिभावकों से बातचीत में यह बात सामने आई कि निजी स्कूलों के मामले में अंग्रेज़ी माध्यम और अनुशासन अभिभावकों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कारक थे। रायगढ़ में एक बच्चे के पिता का इस बारे में यह कहना था, **“किताबें अंग्रेज़ी में हैं और टीचर अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को बेहतर ढंग से सीखने में मदद मिलती है। स्कूल ऐसी गतिविधियाँ करवाता है जिसमें बच्चे भाग लेते हैं और उनमें अंग्रेज़ी में बोलने की ज़रूरत होती है। अभिभावक-शिक्षक मीटिंग में मैंने देखा है कि टीचर बच्चों से क्लास के बाहर अंग्रेज़ी में बात**

करते हैं और आपस में भी अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं।" अभिभावकों के लिए अनुशासन एक महत्वपूर्ण कारक है जिसपर निजी स्कूल भी बल देती है | **"एक और चीज़ जिस पर हम ज़ोर देते हैं वह है अनुशासन। हमारा मानना है कि इससे बच्चों को अच्छे परिणाम लाने में मदद मिलती है। लेकिन हम लड़कियों के ड्रेस, स्कूल के समय के मामले में भी अनुशासन बरतते हैं; हमारा स्कूल अनुशासन के लिए जाना जाता है। बल्कि कुछ लोग तो शिकायत करते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरतते हैं।"** (रायपुर के एक निजी स्कूल के निदेशक का कथन)।

3.1.3. अस्पष्ट चयन, बदलती प्राथमिकताएँ

गुणात्मक साक्षात्कारों से मिले आँकड़ों के विश्लेषण से सरकारी या निजी दोनों में से किसी भी एक प्रकार के स्कूलों के पक्ष में अभिभावकों की स्पष्ट प्राथमिकता का संकेत नहीं मिलता। इसके बजाय यह देखने में आ रहा है कि अभिभावक अपने शुरुआती चयन पर दुबारा विचार करने और इस पुनर्विचार के बाद स्कूल बदलने दोनों के लिए तैयार हैं। हमें कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिले जहाँ अभिभावक सांस्कृतिक पूँजी (Cultural Capital) की लालसा में कमतर स्कूलों में भी बने रहते हैं।

विभिन्न संपत्ति वर्गों से लिए गए परिवारों के नमूने जिनको गुणात्मक साक्षात्कार के लिए चुना गया, निजी स्कूल के चयन के लिए उन्होंने अलग-अलग कारण बताए।[6] तुलनात्मक रूप से कम आर्थिक तंगी का सामना कर रहे अनेक ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे थे उन्होंने फ़ीस में मिली छूट और शिक्षा अधिकार कानून 2009 के 25 प्रतिशत के प्रावधान को कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूल को चुनने का कारण बताया। हालाँकि 'अच्छी पढ़ाई' स्कूल चयन का घोषित मापदण्ड था लेकिन असल में जो चयन किए गए वे उतने स्पष्ट नहीं थे। ऐसे एक अभिभावक, जो अपने दो बच्चों को कम फीस लेने वाले निजी स्कूल और एक बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते थे, उनका कहना था, **"दोनों ही तरह के स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई अच्छी होती है। यही वजह है कि जब मेरे दो बच्चों ने निजी स्कूल जाने को कहा तो मैंने उनको वहाँ भेज दिया और तीसरे ने कहा कि वो सरकारी स्कूल जाना चाहता है तो मैंने उसे वहाँ भेज दिया।"** (तीन बच्चों के पिता, बलोदा बाज़ार)। जब उनसे यह पूछा गया कि बच्चों ने अपनी पसंद के लिए क्या वजहें बताई थी तो उनका कहना था, **"अब भला बच्चों से कोई इतना कहाँ पूछता है"**। इसके अलावा, सभी अभिभावक अपनी पसंद से खुश नहीं थे। एक अभिभावक, जिन्होंने स्कूल चुनने का फैसला अपने बड़े भाई पर छोड़ दिया था जो परिवार में इस तरह के फैसले लेते थे और अपने दोनों बच्चों को उसी कम फीस वाले निजी स्कूल में भेजते थे जहाँ बड़े भाई के बच्चे जाते थे, उनका इस मामले में यह कहना था, 'वह (बड़ी बेटी) दूसरी क्लास में है। लेकिन उसे न तो पहाड़े पता हैं और न ही वह ढंग से पढ़ पाती है जबकि सरकारी स्कूल जाने वाले दूसरे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को अगले साल से सरकारी स्कूल भेजने की सोच रहा हूँ। इस समय ये जिस स्कूल में हैं उसमें तो कुछ सीख नहीं रहे हैं जबकि स्कूल की फीस हमारे लिए भारी है।" (दो बच्चों के पिता, टोंक)

6. यहाँ शिक्षा अधिकार कानून की धारा 12 (1) (c) की बात की जा रही है जिसके तहत निजी गैर-अनुदानप्राप्त स्कूलों में वंचित समुदाय के बच्चों के दाखिले का प्रावधान है।

इसी तरह, अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने वाले तुलनात्मक रूप से समृद्ध परिवार एक मत से उन स्कूलों की पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहे थे जहाँ उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला करवाया था। उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें अपने बच्चों को एक निजी स्कूल से निकाल कर आस-पड़ोस या दूर-दराज के दूसरे स्कूल में दाखिला करना पड़ा क्योंकि पहले स्कूल से अपेक्षाएँ नहीं पूरी हुईं। कुछ दूसरे अभिभावकों ने निजी स्कूल से असंतुष्ट होने के बावजूद अपने बच्चों को उसी स्कूल में रखा क्योंकि ये स्कूल संभवतः सांस्कृतिक पूँजी (cultural capital) की उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर रहे थे। उदाहरण के लिए, अपने तीन बच्चों को निजी स्कूल भेजने वाले एक अभिभावक का कहना था, **"हमने अपने बच्चों के लिए यह स्कूल चुना ताकि वे अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों सीख और बोल सकें। दाखिले के समय प्रिंसीपल ने बताया था कि ये अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल है और यहाँ पढ़ाई-लिखाई ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही होती है। हमने सोचा कि यहाँ बच्चे अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों बोलना सीख जाएँगे जो गाँव में रह कर सीखना संभव नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ी तो छोड़िए, आप भरोसा नहीं करेंगे कि चौथी में पढ़ रहा हमारा एक बच्चा तो हिन्दी भी नहीं पढ़ पाता। हमने (यह और दूसरे अभिभावक) स्कूल में सीखने-सिखाने के इस स्तर को लेकर शिक्षकों से कई बार शिकायत की है।"** (तीन बच्चों के पिता, धमतरी)। लेकिन जब यह पूछा गया कि ऐसी स्थिति में क्या अपने बच्चे को पास ही स्थित सरकारी स्कूल में भेजना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, तब अभिभावक ने रहन-सहन के ढंग, अंग्रेज़ी बोलने आदि जैसे सांस्कृतिक बातों का हवाला दिया।

3.2 अभिभावकों की राय और स्कूलों की हकीकत

स्कूल की दो खास विशेषताओं - शिक्षा का माध्यम और शिक्षक योग्यता - के बारे में अभिभावकों की जो राय थी हमने उसकी तुलना इन स्कूलों में यह विशेषताएँ जिस तरह से अभिव्यक्त होती थीं उससे की। स्कूलों की यह विशेषताएँ एक स्वतंत्र स्कूल सूचना टूल से इकट्ठी की गई जिसमें दोनों शामिल थे, स्कूलों के मुख्य व्यक्तियों से बातचीत और स्कूल की विशिष्ट प्रक्रियाओं पर केन्द्रित स्कूल अवलोकन।[7] हमने यह पाया कि इन चुनी हुई विशेषताओं के मामले में अभिभावकों की राय स्कूल की वास्तविकता से मिलती नहीं थी। हम यहाँ इन दोनों विशेषताओं के लिए जो नतीजे निकले उन्हें अलग-अलग दे रहे हैं।

3.2.1 शिक्षा का माध्यम

निश्चित रूप से अंग्रेज़ी माध्यम एक महत्वपूर्ण व मूल्यवान विशेषता के रूप में उभरा, खासकर के उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि आभिभावकों द्वारा स्कूल के अंग्रेज़ी माध्यम होने की जानकारी, स्कूल द्वारा आधिकारिक तौर पर अंग्रेज़ी माध्यम होने की घोषणा और स्कूल में असल में जिस माध्यम का इस्तेमाल होता है इनमें बहुत अंतर है। निजी स्कूल जाने वाले बच्चों में से 39 प्रतिशत के बारे में उनके अभिभावकों ने यह जानकारी दी कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में जाते हैं। लेकिन असल में महज़ 22 प्रतिशत बच्चे ही ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहाँ अंग्रेज़ी आधिकारिक तौर पर (यानी जैसा कि स्कूल के अधिकारियों ने बताया) शिक्षा का माध्यम है। और स्कूलों के अवलोकन से पता चला कि ऐसे स्कूल जहाँ अंग्रेज़ी वाकई शिक्षा का माध्यम है उनमें महज़ 10 प्रतिशत बच्चे ही जाते हैं।

दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा कि तालिका 4 में दिखता है, महज़ 25 प्रतिशत मामलों में ही अभिभावकों की यह राय कि उनके बच्चे का स्कूल अंग्रेज़ी माध्यम है स्कूल की वास्तविकता से मेल खाती है। आधे से भी ज़्यादा बच्चे (57 प्रतिशत) जो कहने को अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में जाते हैं वे असल में हिन्दी या कन्नड़ जैसी किसी प्रधान क्षेत्रीय भाषा के माध्यम वाले स्कूल में पढ़ाई करते हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत बच्चे ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ किताबें अंग्रेज़ी में होती हैं लेकिन शिक्षक उनको पढ़ाते समय वहाँ की प्रधान क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करते हैं (इनको तालिका 4 में 'मिश्रित' की श्रेणी में रखा गया है)।

यहाँ तक कि जब हमने सिर्फ उन अभिभावकों के जवाब लिए जिन्होंने यह कहा था कि अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल चुनने के सबसे बड़े तीन कारणों में से एक था (ऐसे अभिभावकों की संख्या बच्चों को निजी स्कूल भेजने वाले कुल अभिभावकों का 25 प्रतिशत थी), तब भी उनकी राय और वास्तविकता के बीच ऐसा ही अंतर देखने को मिला। स्कूलों के अवलोकन से पता चला कि ऐसे अभिभावकों के बच्चों का महज़ एक चौथाई ही ऐसे स्कूलों में जाता था जहाँ अंग्रेज़ी वास्तव में शिक्षा का माध्यम थी।

7. यह अवलोकन स्कूल प्रक्रियाओं के अल्पकालिक गुणात्मक अवलोकन थे न कि दीर्घ कालिक अवलोकन। सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं, अनुशासन व सुरक्षा जैसी विशेषताएँ जो स्कूल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उनका अध्ययन करना भी दिलचस्प होता। लेकिन उसके लिए जिस तरह की पद्धति की ज़रूरत होती वह इस अध्ययन के दायरे से बाहर है

तालिका 4 : जिन बच्चों के अभिभावक मानते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं उनके स्कूल का आधिकारिक दावा और वास्तव में इस्तेमाल होने वाला शिक्षा का माध्यम (% में)

	शिक्षा का आधिकारिक माध्यम	शिक्षा का वास्तविक माध्यम
हिन्दी	43	52
कन्नड़	5	5
अंग्रेज़ी	52	25
मिश्रित	0	18

इस विसंगति के बारे में और गहराई से गुणात्मक साक्षात्कारों से मिले आँकड़ों से समझा जा सकता है। अभिभावकों को इस बात की साफ समझ नहीं थी कि अंग्रेज़ी माध्यम के मायने क्या होते हैं या स्कूलों के चयन के मामले में यह महत्वपूर्ण क्यों है। कुछ अभिभावकों के मामले में ऐसा दिखा कि वे महज़ सरकारी स्कूलों की तुलना में अंग्रेज़ी माध्यम के निजी स्कूलों की लोकप्रियता की आम धारणा के दबाव में अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं। जैसा कि यादगीर, कर्नाटक में बसे एक राजस्थानी परिवार के पिता ने बताया, **"हाल ही में मेरे एक दोस्त ने पूछा "तुम्हारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं?"। जब मैंने जवाब दिया कि वे एक नामी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं तो वे फूले नहीं समाए और मुझे शाबाशी दी कि मैंने उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजकर बढ़िया काम किया है। इस वजह से हमारी बिरादरी में मेरी तारीफ हुई और इज्जत भी मिली, इसलिए अपने बच्चों को निजी स्कूल भेजना मेरे लिए इज़्जत का मसला है।"** ऐसा देखा गया कि ज़्यादातर अभिभावक निजी स्कूलों को ऐसी प्रक्रियाओं से जोड़ कर देखते थे जो उनकी नज़र में उनके बच्चों के व्यक्तित्व को कुछ विशिष्ट आयाम देते थे, चाहे वह अनुशासन के रूप में हो, अच्छे आचरण के रूप में (पहनावा और बोलने के तौर-तरीके) और ऐसे में माहौल में रहने के रूप में हो जहाँ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल पाठ्य पुस्तकों में होता हो या जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती हो। उदाहरण के लिए, ऐसे ही एक अभिभावक ने आस-पड़ोस के सरकारी स्कूलों के बारे में कुछ इस तरह की राय व्यक्त की, **"अंग्रेज़ी की बात तो जाने दीजिए, सरकारी स्कूलों के मास्टर तो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। हिन्दी भी कम ही बोली जाती है और वह भी कक्षा में पढ़ाई के समय। और वहाँ ज़्यादातर बच्चे ठीक से ड्रेस भी नहीं पहनते। अकसर वे बच्चे गाली-गलौच करते हुए भी देखे जाते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि मेरे बच्चों के विकास में इसका कितना खराब असर हो सकता है।"** (दो बच्चों के पिता, धमतरी)। अपेक्षाकृत धनी अभिभावकों की समझ में सरकारी स्कूलों का माहौल उनके बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है उन्होने अपनी बात को अभिव्यक्त कुछ इस तरह के वाक्यों द्वारा किया जो उनके समझ का चित्रण करता है जैसे गाली-गलौज करने वाले और असभ्य बच्चों से भरे स्कूल', 'अच्छे परिवारों के बच्चे इन स्कूलों में नहीं जाते', और 'वहाँ के बच्चे न तो अच्छे से कपड़े पहनते हैं न ही साफ-सफाई रखते हैं'। दूसरी तरफ, स्कूल की परिपाटियाँ व प्रक्रियाएँ निजी स्कूलों द्वारा अंग्रेज़ी माध्यम होने के दावों से बमुश्किल ही मेल खाती है । ज़्यादातर स्कूलों ने यह बताया कि योग्य अंग्रेज़ी शिक्षक और आमतौर पर ही अच्छे शिक्षक मिल पाना कितना कठिन था | कुछ स्कूल सुदूर जगहों (मसलन, केरल व पश्चिम बंगाल) से शिक्षक नियुक्त करने का प्रयास किया लेकिन उनको हमेशा यह अनिश्चितता रहती थी कि छुट्टियों में घर जाने के बाद ऐसे शिक्षक वापस लौटेंगे कि नहीं। कई स्कूल आसपास के गाँवों के बेरोज़गार युवकों से काम चला रहे थे। अंग्रेज़ी माध्यम होने के दावे को पूरा कर पाने की इन स्कूलों की असमर्थता इन स्कूलों में सीखने-सिखाने के तौर-तरीकों में भी ज़ाहिर थी। जैसा कि यादगीर के एक स्कूल के शिक्षक ने बताया कि उनके लिए बच्चों से अंग्रेज़ी में व्यवहार कर पाना कितना कठिन था, खासतौर से पहली से चौथी कक्षा के बच्चों के साथ। शिक्षकों ने बताया कि वे उन बच्चों को जिन्हें अंग्रेज़ी समझने में दिक्कत आती थी ज़्यादा होमवर्क दे देते थे और उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएँ भी लगाते थे। ऐसा देखने को मिला कि ज़्यादा होमवर्क देने की इस परिपाटी से वे अभिभावक संतुष्ट थे जो बच्चों को घर में कोई सहयोग नहीं दे पाते थे। ऐसे अभिभावक बच्चों को ज़्यादा होमवर्क दिए जाने पर ज़ोर डालते थे। लेकिन साथ ही, इन सभी स्कूलों में शिक्षकों की यह आम शिकायत थी कि अभिभावक बच्चों को घर पर समुचित सहयोग नहीं दे पाते थे क्योंकि वे खुद भी अंग्रेज़ी से अनभिज्ञ थे। और यह भी कि कई अभिभावक अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते थे जबकि, इन शिक्षकों की राय में, स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी।

3.2.2 शिक्षकों की योग्यता

अध्ययन में स्कूल सर्वे के दौरान हमने इन स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की अकादमिक व पेशेवर योग्यता और अनुभव के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की। एकत्र आकड़ों से सबसे पहले यह बताते है कि जहाँ तक शिक्षकों के व्यक्तिगत विशेषताओं का सवाल है सरकारी और निजी स्कूलों के बीच हमें बहुत अंतर दिखा। तालिका 5 में दिखाया गया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में सरकारी शिक्षक ज़्यादा योग्यता रखते हैं चाहे वह अकादमिक योग्यता हो (44 प्रतिशत निजी शिक्षकों की तुलना में 64 प्रतिशत सरकारी शिक्षकों के पास स्नातकोत्तर उपाधि है), पेशेवर योग्यता हो (अमूमन हर सरकारी शिक्षक के पास कोई न कोई पेशेवर योग्यता है, जबकि 29 प्रतिशत निजी शिक्षकों के पास कोई योग्यता नहीं है), या शिक्षण के अनुभव का मामला हो (एक औसत सरकारी शिक्षक के पास 14 साल का अनुभव था जबकि निजी स्कूल शिक्षक के लिए यह अनुभव महज़ 5 साल का था)।

तालिका 5: शिक्षकों की विशेषता- सरकारी बनाम निजी स्कूल

	सरकारी स्कूल	निजी स्कूल
अकादमिक योग्यता		
स्नातक से कम	7	15
स्नातक	30	40
स्नात्तकोत्तर व उससे अधिक	64	44
पेशेवर योग्यता शिक्षण का अनुभव (कोई भी)	99	71
1 साल या कम	2	20
1 से 2 साल	2	18
2 से 5 साल	9	35
5 से अधिक	87	27

दूसरी बात यह है कि जब शिक्षकों की विशेषताओं के बारे में अभिभावकों की राय की तुलना स्कूल के स्तर पर व्यक्तिगत शिक्षकों की विशेषताओं से की गई तो दो निजी स्कूलों के मामले में असंतुलन देखने को मिला। शिक्षक की विशेषताओं को जितना महत्त्व अभिभावक देते हैं उसमें और स्कूलों में वास्तव में पढ़ा रहे शिक्षकों की विशेषताओं में असंतुलन है। वैसे बच्चों के अभिभावक जो शिक्षक की विशेषता को स्कूल चयन में महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, यानी जिन्होंने इस कारक को स्कूल चयन के तीन प्रमुख कारणों में से एक बताया, ऐसे अभिभावकों के बच्चे बेहतर विशेषता वाले शिक्षकों के स्कूल में ही जाते हों यह ज़रूरी नहीं।

जैसा कि तालिका 6 में दिखाया गया है, जहाँ सरकारी स्कूलों के मामले में शिक्षकों की विशेषता को लेकर अभिभावकों की राय और शिक्षकों की वास्तविक विशेषता, जैसे कि उनकी अकादमिक व पेशेवर योग्यता और अनुभव, में कोई अंतर नहीं है, वहीं बच्चों को निजी स्कूल भेजने वाले अभिभावकों के मामले में इसमें भारी अंतर है। इस विश्लेषण के लिए अभिभावकों को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया - एक वे जो स्कूल चयन में शिक्षक विशेषता को महत्त्वपूर्ण मानते थे और दूसरे वे जो ऐसा नहीं मानते थे। शिक्षक विशेषता को महत्त्वपूर्ण मानने वाले समूह ने जो स्कूल चुने उनमें इस विशेषता को उतना महत्त्व नहीं देने वाले समूह द्वारा चुने स्कूलों की तुलना में अकादमिक रूप से योग्य शिक्षकों का अनुपात कम था (76 बनाम 87 प्रतिशत), पेशेवर योग्यता वाले शिक्षकों का अनुपात भी कम था (64 बनाम 74 प्रतिशत) और शिक्षण का अनुभव भी कम था (74 महीने बनाम 79 महीने)। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षक विशेषता को स्कूल चयन में उतना महत्व नहीं देने वाले अभिभावकों की तुलना में जो अभिभावक शिक्षक विशेषता को महत्व देते थे उन्होंने ऐसे स्कूल नहीं चुने जहाँ शिक्षकों की विशेषता वास्तव में बेहतर हो। यह अनुपात निजी स्कूलों में शिक्षकों की जो औसत योग्यता थी - 84 प्रतिशत स्नातक योग्यता प्राप्त और 71 प्रतिशत पेशेवर योग्यता प्राप्त शिक्षक - उससे भी कम थी।

तालिका 6 : शिक्षकों की विशेषता- अभिभावकों की राय बनाम स्कूल की वास्तविकता

स्कूल	अभिभावकों की राय	स्नातक-शिक्षक (%)	पेशेवर योग्य-शिक्षक (%)	औसत अनुभव (महीनों में)
सरकारी	वे अभिभावक जिनके लिए शिक्षक की योग्यता **महत्वपूर्ण है**	96	98	169
	वे अभिभावक जिनके लिए शिक्षक की योग्यता **महत्वपूर्ण नहीं है**	92	98	164
निजी	वे अभिभावक जिनके लिए शिक्षक की योग्यता **महत्वपूर्ण है**	76	64	74
	वे अभिभावक जिनके लिए शिक्षक की योग्यता **महत्वपूर्ण नहीं है**	87	74	79

3.3 अभिभावकों की आकांक्षाएँ और स्कूलों के प्रचार के तरीके

गुणात्मक साक्षात्कारों से मिले आँकड़ों को देख कर अभिभावकों की राय और स्कूली वास्तविकता के बीच के अंतर के संभावित कारणों को समझा जा सकता है। ज़्यादातर निजी स्कूलों ने यह बताया कि स्कूल का प्रचार कर दाखिले बढ़ाने के लिए उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से दाखिला अभियान चलाया। यह अभियान शिक्षकों द्वारा गर्मी की छुट्टियों में चलाए जाते थे। इन दाखिला अभियानों के बारे में बताते हुए एक शिक्षक ने कहा, **"हम अपने वर्तमान विद्यार्थी के अभिभावकों की मदद से गाँवों में जाते हैं। गाँव के सरपंच और दूसरे प्रभावशाली लोगों से सम्पर्क करते हैं। हम स्कूल की गाड़ी से गाँव जाते हैं जिस पर एक लाउडस्पीकर लगा होता है। हम लोगों को एक जगह इकट्ठा कर उनको स्कूल के बारे में बताते हैं। इसके बाद शिक्षक दो-दो के समूह में बँट कर घर-घर जाते हैं। हम परिवार में जो बच्चे हैं उनकी जानकारी लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं और उनको स्कूल के बारे में समझाते हैं।"** (निजी स्कूल के शिक्षक, रायपुर)। घर-घर के इन दौरों में छपे हुए पर्चे बाँटे जाते हैं जिन पर स्कूल की मुख्य विशेषताएँ लिखी होती हैं।

स्कूलों के प्रधान-शिक्षक और शिक्षकों से इन दाखिला अभियानों और पर्चों की विषयवस्तु के बारे में पूछने पर जो सूची मिली उसमें यह सब शामिल था : स्कूल ले जाने व वापस लाने के लिए वाहन सुविधा, स्कूल में सीसीटीवी कैमरा, जल्दी दाखिला लेने पर छूट, वर्तमान छात्र के भाई-बहन के दाखिले पर छूट, अंग्रेज़ी लिखने व बोलने की क्षमता का विकास, शिष्टाचार, अच्छी आदतें व विचारों का विकास, कम्प्यूटर शिक्षा, कम्प्यूटर-आधारित कक्षाएँ, पाठ्येतर गतिविधियाँ, रोज़ाना या साप्ताहिक टेस्ट, बोर्ड इम्तहानों में पास होने की ऊँची दर। स्कूलों की छवि चमकाने के लिए जिन सरल संदेशों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें कम फीस पर बेहतर शिक्षा, रोज़मर्रा की बातचीत में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल, स्कूल में स्थानीय भाषा के इस्तेमाल पर पाबंदी और अनुशासन व स्कूल की परम्पराओं के महत्त्व पर ज़ोर देना शामिल हैं।

यह भी देखा गया कि अभिभावक शैक्षणिक गुणवत्ता के इन ज़्यादा प्रकट मगर संदेहास्पद मापदण्डों से सहमत है। इनमें एक प्रमुख मापदण्ड है 'संस्कार' यानी सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों के माहौल से जुड़ी धारणाएँ जिनमें स्कूल की पोशाक, व्यवहार, स्कूल में बातचीत के तौर-तरीके शामिल है। सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों के बच्चों के बेहतर व्यवहार की धारणा के बारे में बात करते हुए अभिभावक अकसर यह कहते पाए गए, **"और यहाँ के बच्चे ज़्यादा अच्छे आचरण वाले हैं।"** अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने वाले अभिभावकों ने ऐसे कई दूसरे प्रभावशाली मान्यताओं के बारे में भी बताया जो उनकी नज़र में 'संस्कार' से जुड़े हुए थे। इसमें निजी स्कूलों में अंग्रेज़ी में ही बातचीत करने की अनिवार्यता और उसकी तुलना में सरकारी स्कूलों में स्थानीय भाषा व बोलियों का इस्तेमाल, निजी स्कूलों में अनुशासन और बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी जैसी चीज़ें शामिल है । एक अभिभावक, जो ऐसे परिवारों में से थे जो कम फीस लेने वाले निजी स्कूल का खर्च उठ सकते थे लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने का फैसला किया था, उन्होंने बड़े सटीक शब्दों में अभिभावकों द्वारा सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों के चयन के बारे में कहा कि, **"सरकारी स्कूल आज भी अच्छे हैं। लेकिन लोग आमतौर पर यह सोचते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए दूसरे लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेजते और उनकी बजाय निजी स्कूल चुनते हैं।"** (दो बच्चों के पिता, टोंक)।

4. निष्कर्ष

यह अध्ययन विशेष तौर पर अभिभावकों द्वारा स्कूल चयन के संदर्भ में अनेक ज़रूरी मसलों और बहसों को उभारता है। समग्र रूप में यह स्कूल चयन और वाउचर जैसी बाज़ार-आधारित नीतिगत पहलों को गैर-अलोचनात्मक तरीके से अपनाने के प्रति आगाह करता है।

इस अध्ययन से निकले नतीजे इस सरलीकृत धारणा को चुनौती देते हैं कि अभिभावकों का चयन समुचित जानकारी और स्कूलों के मूल्यांकन के महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक मापदण्डों पर आधारित होता है। अनेक कारकों की भूमिका और चयन करने में व्यवहारिक व शैक्षणिक तत्त्वों के प्रभाव से यह पता चलता है कि स्कूल चयन अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसे अभिभावक जो निजी स्कूल का खर्च वहन कर सकते हैं, आस-पड़ोस के निजी स्कूलों के बारे में उनकी दुविधाएँ और बदलती राय से भी स्कूल चयन की जटिलता रेखांकित होती है।

इससे आगे यह अध्ययन स्कूलों की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में अभिभावकों की राय और उन विशेषताओं के मामले में स्कूल की वास्तविकता के बीच के असंगतियों पर भी प्रकाश डालता है । क्या अभिभावकों को गुमराह किया जाता है या फिर ऐसा है कि निजी स्कूलों की विशेषताओं के बारे में उनकी धारणाएँ गलत हैं? यह अध्ययन   इन दोनों के कुछ तत्वों की भूमिका की ओर संकेत देता है। एक तरफ हमें देखने को मिलता है कि अपने बच्चों को निजी स्कूल भेजने वाले अभिभावकों में सांस्कृतिक पूँजी (cultural capital) की आकांक्षा होती है। वहीं दूसरी तरफ, निजी स्कूल बाज़ार आधारित तरीकों से इन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रलोभन देते हैं। इस तरह, इस परस्पर प्रभावित करने में प्रकट लेकिन गैर-शैक्षणिक मापदण्डों पर ज़ोर ज़्यादा होता है जिनको अभिभावक स्कूलों में सीखने-सिखाने की गुणवत्ता की तरह देखने लग जाते हैं । इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे मापदण्ड जो शैक्षणिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन उतने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे की शिक्षकों की योग्यता, उन पर पर्दा पड़ जाता है।

हमारे अध्ययन से यह रेखांकित होता है कि स्कूलों, खास तौर पर कम-फीस लेने वाले निजी स्कूलों की शैक्षणिक प्रक्रियाओं, उनकी वास्तविक स्थिति और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों की राय के बीच सूचनाओं की जो असंगति है उसके स्वरूप को समझने की ज़रूरत है। अभिभावकों द्वारा किए गए स्कूल चयन की प्रक्रिया पर और बारीक समझ विकसित करने की ज़रूरत है - खासतौर से निर्णय लेने की प्रक्रिया के संदर्भ में - जिसमें अभिभावकों की सीमाओं, उनकी प्राथमिकताओं, और उनको उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित तमाम कारकों की तुलना और संश्लेषण शामिल होता है।

संदर्भ

कडगर, ए. व क्विन, ई. (2012)। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट स्कूलिंग एण्ड अचीवमेन्ट्स: रिज़ल्ट्स फ़्रॉम रूरल एण्ड अर्बन इंडिया। इकोनॉमिक्स ऑफ़ एजुकेशन रिव्यू, 31: 376-390।

धनकर, आर. (2002)। सीकिंग क्वालिटी एजुकेशन: इन द एरेना ऑफ़ फ़न एण्ड रेटॉरिक। सीकिंग क्वालिटी एजुकेशन फ़ॉर ऑल : एक्सपीरिएंसेज़ फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम (पृ 1-29)। दिल्ली: द यूरोपियन कमीशन।

हार्मा, जे. (2011), लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूलिंग इन इंडिया: इज़ इट प्रो पूअर एण्ड इक्विटेबल? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 31(4), 350-356।

हार्मा, जे. (2010)। स्कूल च्वॉएस फ़ॉर द पूॅर? द लिमिट्स ऑफ़ मार्केटाइज़ेशन ऑफ़ प्राइमरी एजुकेशन इन रूरल इंडिया। CREATE शोध पत्र, पाथवेज़ टू एक्सेस सीरीज़ 23, यूनिवर्सिटी ऑफ़ ससेक्स, ब्राइटन।

हिल, ई., सैमसन, एम व दासगुप्ता, एस (2011)। एक्सपैन्डिन्ग द स्कूल मार्केट इन इंडिया: पैरेंटल च्वॉएस एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ़ सोशल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 46(35): 99-105।

करोपाडी, डी डी (2014)। डज़ स्कूल च्वॉएस हेल्प रूरल चिल्ड्रेन फ़्रॉम डिसएडवान्टेज्ड सेक्शंस? इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 49(51), 46-53।

कौर, एस. (2017)। क्वालिटी ऑफ़ रूरल एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल: एविडेंस फ़्रॉम पंजाब। इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 52(5): 58-63।

मुरलीधरन, के और सुंदररमन, वी (2015)। द एग्रेगेट एफ़ेक्ट ऑफ़ स्कूल च्वॉएस: एविडेन्स फ़्रॉम ए टू-स्टेज एक्सपेरिमेन्ट इन इंडिया। द क्वार्टरली जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स, 130(3), 1011-1066।

ओईसीडी (2016)। PISA 2015 परिणाम (भाग II): पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस फ़ॉर सक्सेसफुल स्कूल्स, पीसा, ओईसीडी पब्लिशिंग, पेरिस।

राविच, डी (2013)। रेन ऑफ़ टेरर: द होक्स ऑफ़ द प्राइवेटाइज़ेशन मूवमेंट एंड द डेंजर टू अमेरिकास स्कूल्स। विन्टेज।

राविच, डी (2010)। द डेथ एंड लाइफ़ ऑफ़ द ग्रेट अमेरिकन स्कूल सिस्टम: हाउ टेस्टिंग एंड च्वॉएस आर अंडरमाइनिंग एजुकेशन। बेसिक बुक्स।

शाह, पी जे और मिरांडा, एल (2013)। प्राइवेट इनिशिएटिव इन इंडियाज़ एजुकेशन मिरेकल। इंडिया इंफ़्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2012: प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन (पृ 74-83)। नई दिल्ली: राउटलेज।

श्रीवास्तव, पी (2007)। नीदर वॉएस नॉर लॉएल्टी : स्कूल च्वॉएस एंड द लो-फी प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। ओकेज़नल पेपर, 134, नेशनल सेंटर फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ प्राइवेटाइज़ेशन इन एजुकेशन, टीचर्स कॉलेज, न्यू यॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी।

स्ट्रयली, एन वेनम, यू और वुडहेड, एम (2011)। इंक्रीज़िंग च्वॉएस ऑर इनइक्वालिटी? पाथवेज़ थ्रू अर्ली एजुकेशन इन आन्ध्रा प्रदेश, इंडिया। वर्किंग पेपर न. 58, स्टडीज़ इन अर्ली चाइल्डहुड ट्रांज़ीशन्स। द हेग, द निदरलैंड्स: बर्नार्ड वॉन लीर फाउण्डेशन।

विन्च, सी (1996)। क्वालिटी एंड एजुकेशन। ऑक्सफ़ोर्ड: वाइली-ब्लैकवेल।

विश्व बैंक (2018)। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018। लर्निंग टू रियलाइज़ एजुकेशंस प्रॉमिस। वाशिंगटन, डीसी: वर्ल्ड बैंक।

Azim Premji University

Pixel Park, PES Campus, Electronic City, Hosur Road
Bangalore 560100

080-6614 5136
www. azimpremjiuniversity.edu.in

Facebook: /azimpremjiuniversity **Instagram:** @azimpremjiuniv **Twitter:** @azimpremjiuniv